प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिला–** जयपुर, **थाना–**प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष–2022
प्र0इ0रि0 सं. ....167/22.......**दिनांक**.........6/5/22
2. (I) **अधिनियम...** धारा 7 पी0सी0 (संशोधन)एक्ट 2018
   (II) ***अधिनियम** .... **धारायें**
   (III) * **अधिनियम** .... **धारायें** ....
   (IV) * **अन्य अधिनियम एवं धारायें** ....
(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....121......... **समय** 8.00 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन गुरूवार **दिनांक** 05.05.2022 **समय** 02.27 पी.एम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....
4. **सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– लिखित**
5. **घटनास्थल :–** कार्यालय सहायक मण्डल, इन्जिनियर (मुख्यालय), लोको कॉलोनी, जयपुर
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब उतर–पश्चिम करीब 10 किमी
   (ब) बीट संख्या..........................**जयरामदेही सं**................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....**जिला** ....
6. **(1)परिवादी /सूचनाकर्ता :–**
   (अ) नाम– श्री सुनील कुमार डेला
   (ब) पिता/पति का नाम– श्री राजेन्द्र सिंह डेला
   (स) जन्म तिथी– उम्र–38 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....**जारी होने की तिथि**
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय – टयूर एण्ड ट्रेवल्स
   (ल) पता– निवासी प्लाट नम्बर 34, जैन एनक्लेव, पत्रकार कॉलोनी रोड, गोलियावास, मानसरोवर, जयपुर
7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –**
   1. श्री गोपाल प्रसाद मीना पुत्र श्री बोदनराम मीना, उम्र 59 साल, जाति मीना, निवासी ग्राम मलाना, तहसील राजगढ, पुलिस थाना टहला, जिला अलवर हाल बी–09, सीमेन्ट पाईप फैक्ट्री के पीछे पुराना रूपबास थाना अरावली विहार जिला अलवर हाल किरायेदार मकान नम्बर 99, शिवकॉलोनी, किसानमार्ग, टोंक फाटक पुलिस थाना बजाज नगर, जयपुर हाल मुख्य कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक मण्डल इजीनियर (मुख्यालय) लोको कॉलोनी जयपुर।
8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–**..........
9. **चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)**...
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य–** 1400/– रूपये
11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** ....
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–**

दिनांक 04.05.2022 को समय 02:00 पी.एम. पर श्री राजपाल गोदारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने मुझ उप अधीक्षक पुलिस अभिषेक पारीक को अपने कक्ष में बुलाकर उनके कार्यालय कक्ष में बैठे व्यक्ति से परिचय कराते हुये बताया कि यह श्री सुनील कुमार डेला है, जिन्होने यह हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिया है और प्रार्थना–पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस को सौंपते हुये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय प्रार्थना पत्र व परिवादी श्री सुनील कुमार डेला के मेरे कक्ष में आया तथा श्री सुनील कुमार डेला से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुनील कुमार डेला पुत्र श्री

राजेन्द्र सिंह डेला, जाति जाट, उम्र 38 साल, निवासी प्लाट नम्बर 34, जैन एनक्लेव, पत्रकार कॉलोनी रोड, गोलियावास, मानसरोवर, जयपुर ,मोबाईल नंबर 9928869185 होना बताया। इसके पश्चात् मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री सुनील कुमार डेला द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र इस आशय का है कि " सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी जयपुर। विषयः– भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत लेते हुये पकड़वाने हेतु। महोदय निवेदन है कि मेरी फर्म नमित ट्यूर एण्ड ट्रेवल्स के नाम से रजिस्टर्ड है जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 08AJDPD3208P2Z6 है। मेरी फर्म का मुख्य कार्य वाहन उपलब्ध कराना ट्यूर एण्ड ट्रेवल्स का है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मण्डल जयपुर में जून 2021 में जेम के माध्यम से मेरी फर्म को एक वाहन बोलेरो केम्पर प्रतिमाह 1500 किमी का टेण्डर प्राप्त होने पर मेरे द्वारा उत्तर पश्चिमी रेल्वे जयपुर मण्डल जयपुर को वाहन बोलेरो केम्पर RJ 18 GB 4391 उपलब्ध कराई जिस पर ड्राइवर अजीत लगा हुआ है। इस वाहन का प्रतिमाह बिल करीब 31000 रूपये को बनता है जो बिल पास करने के लिये वाहन बोलेरो की लॉग बुक ड्राइवर द्वारा प्रतिमाह भरकर रजनीश त्रिपाठी के पास जमा कराई जाती है जहां से लॉगबुक वेरीफाई होने के बाद बिल बनकर पास होने के लिये रेल्वे के अकाउण्ट सेक्शन में बिल पास होने के लिये जाता है और पेमेन्ट होने के लिये बिल भेजते है। उसके बाद बिल का पेमेन्ट मेरे कम्पनी के अकाउण्ट में आता है। गाड़ी का बिल तीन चार महिने का इकट्ठा बनता है। अभी मेरी बोलेरो गाड़ी का माह फरवरी, मार्च, अप्रेल का बिल रेलवे के बाबू गोपाल प्रसाद मीणा के पास पेण्डिंग है जिन्होने मेरे बिल का पेमेन्ट व बिल पास करने का काम रोका हुआ है और बाबू गोपाल प्रसाद मीना मेरे से बिल पास करने के लिये प्रत्येक बिल के 500 रूपये व 200 रूपये टाइपिस्ट के लिये कुल 700 रूपये की रिश्वत राशि और फरवरी से पहले का जो बिल पास हुआ उसके भी 700 रूपये कुल 1400 रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं मेरे जायज काम के लिये रेल्वे के बाबू गोपाल प्रसाद मीणा को 1400 रूपये रिश्वत राशि नही देना चाहता और उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी गोपाल प्रसाद मीणा से कोई रंजिश नही है और न ही कोई लेन देन बकाया है। मैं मेरी फर्म के GST रजिस्ट्रेशन व टेण्डर की फोटोप्रति व मेरी आईडी प्रस्तुत कर रहा हूं। दिनांक 04.05.2022 एसडी प्रार्थी सुनील कुमार डेला पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह डेला, 34 जैन एन्कलेव गोल्यावास पत्रकार कॉलोनी रोड़, मानसरोवर जयपुर राज. 302020 9928869185"। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मेरी फर्म नमीत टुर एण्ड ट्रेवल्स के नाम से रजिस्टर्ड है, मेरी फर्म द्वारा जेम के माध्यम से प्राप्त टेण्डर की शर्तो के अनुरूप उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर मण्डल जयपुर मे जून 2021 से एक वाहन बोलेरो कैम्पर प्रतिमाह 1500 किमी0 के लिए उत्तर पश्चिम रेल्वे मे लगा रखी है, यह वाहन रेल्वे के अधिकारी श्री रजनीश त्रिपाठी के पास लगा हुआ है। वाहन का प्रतिमाह का बिल करीब 31000 रूप्ये बनता है और दो तीन माह का इकठा बिल लॉगबूक वैरिफाई करके श्री रजनीश त्रिपाठी रेल्वे के अकाउन्ट सैक्शन मे भेजते है। रेल्वे के अकाउन्ट सैक्शन मे काम करने वाला बाबू गोपाल प्रसाद मीना इस बिल को फाईल पर लेकर पास करके पेमेन्ट के लिए भेजता है, उसके बाद बिल का पेमेन्ट मेरी फर्म के अकाउन्ट मे आता है। मेरी फर्म के वाहन बोलेरो कैम्पर का माह फरवरी, मार्च, अप्रेल 2022 का एक बिल रेल्वे के अकाउन्ट सैक्शन के बाबू श्री गोपाल प्रसाद मीना के पास पैण्डिंग है। गोपाल प्रसाद मीना इस बिल को पास करने के लिए कुल 700 रूपये और फरवरी से पहले का जो एक बिल पास हो चुका है, उसके 700 रूपये सहित कुल 1400 रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं मेरे जायज काम के लिए गोपाल प्रसाद मीना को 1400 रूप्ये रिश्वत राशि नही देना चाहता और उसको रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, मजीद दरियाप्त, परिवादी द्वारा फर्म के रजिस्ट्रेशन, टेण्डर की प्रति से मामला प्रथम दृष्टया लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग का पाया जाता है। जिसके लिए परिवादी से संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर श्री अशोक कुमार कानि0 434 को मन उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री सुनील कुमार डेला से परिचय करवाया जाकर प्रार्थना पत्र पढवाया गया तथा कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर उसका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री सुनील कुमार डेला को चलाने व बंद करने की विधि समझाई जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री अशोक कुमार कानि0 434 को सुपुर्द किया गया। परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई कि आरोपी के पास जाकर उससे रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करें और सम्बन्धित वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। श्री अशोक कुमार कानि0 434 को मुनासिब हिदायत देकर परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। समय 4:30 पी.

एम. पर श्री अशोक कुमार कानि0 434 मय परिवादी श्री सुनील कुमार डेला के उपस्थित कार्यालय आये और श्री अशोक कुमार कानि0 434 ने विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझ उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द करते हुये बताया कि ए.सी.बी. कार्यालय से परिवादी के साथ रवाना होकर उत्तर पश्चिम रेल्वे मण्डल, जयपुर हसनपुरा पुलिया के पास स्थित कार्यालय पहुंचे जहां समय 3.25 पीएम पर परिवादी को वॉयस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखकर परिवादी को मांग सत्यापन के लिए संदिग्ध आरोपी के पास जाने हेतु रवाना कर दिया। मैं कार्यालय के बाहर ही अपनी पहचान छुपाते हुये मुकीम हुआ। इसके करीब 40 मिनट के बाद परिवादी मेरे पास आया एवं परिवादी ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर वापस दिया जिसे लेकर मैने बंद करके सुरक्षित अपने पास रख लिया तथा परिवादी ने बताया कि संदिग्ध आरोपी से मेरी वार्ता हो गई है और संदिग्ध कर्मचारी श्री गोपाल प्रसाद मीना ने मेरी फर्म का बिल पास करने के लिए मेरे से 1400 रूपये की रिश्वत की मांग की है। इस पर उपस्थित परिवादी श्री सुनील कुमार डेला ने भी अशोक कुमार कानि0 434 के कथनों की ताईद की। श्री अशोक कुमार कानि0 434 द्वारा पेश किये गये डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड की गई है को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुना गया तो दर्ज वार्ता में उपस्थित परिवादी ने एक आवाज स्वंय की व दुसरी आवाज संदिग्ध कर्मचारी श्री गोपाल प्रसाद मीना की होने की पहचान की, वार्ता मे संदिग्ध कर्मचारी श्री गोपाल प्रसाद मीना द्वारा परिवादी सुनील डेला की फर्म नमीत ट्रैवल्स के वाहन का बिल पास करने के लिए 500 रूपये स्वंय के लिए व 200 रूपये टाईपिस्ट के लिए कुल 700 रूपये व पूर्व मे पास किये गये बिल के लिए इसी प्रकार 700 रूपये की रिश्वत राशि कुल 1400 रूपये रिश्वत की मांग की गई व रिश्वत लेनदेन हेतु दिनांक 05.05.2022 का समय निश्चित किया गया। इस पर सम्पूर्ण वार्ता को सुनने के उपरान्त वॉयस रिकार्डर को बन्द करके कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखा गया व अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी श्री सुनील डेला को दिनांक 05.05.2022 को प्रातः 10 बजे कार्यालय मे रिश्वती राशि 1400 रूपये के साथ उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। कार्यालय से श्री राजकुमार हैड कानि0 को तलब कर दिनांक 05.05.2022 को प्रातः 10 बजे दो स्वतंत्र गवाह पाबन्द करने हेतु हिदायत दी। दिनांक 05.05.2022 को समय 10:40 ए.एम. पर परिवादी श्री सुनील कुमार डेला व पूर्व से पाबंदशुदा दो स्वतंत्र गवाह श्री धर्मवीर सिंह हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सेठी कॉलोनी, जयपुर तथा श्री नरेन्द्र भारद्वाज, हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक औषधी नियंत्रक, मिनी स्वास्थ्य भवन, मन्दिर मार्ग, सेठी कॉलोनी जयपुर उपस्थित कार्यालय आये। जिनका कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री सुनील कुमार डेला से परिचय करवाया गया तथा उनके द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो उनके द्वारा अपनी–अपनी सहमति प्रदान किये जाने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनको पढने हेतु दिया गया तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10:50 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री सुनील कुमार डेला की उपस्थिति में दिनांक 04.05.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी के माध्यम से रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्ड को कार्यालय की आलमारी से निकालकर कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से सुना गया, जिसमें परिवादी श्री सुनील कुमार डेला द्वारा अपनी व संदिग्ध आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना की आवाज की पहचान करने के पश्चात फर्द ट्रासंक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पृथक से तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की सीडी बनवाने हेतु कार्यालय से तीन सीडी मंगवायी जाकर सीडीयां खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से तीन सीडी तैयार की जाकर तीनों सीडीयों में वाईस क्लिप होना सुनिश्चित कर सीडियों पर क्रमशः मार्क A–1, A–2 व A–3 अंकित किया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर दो सीडी मार्क A–1 व A–2 को अलग–अलग सीडी कवर में रखकर अलग–अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर मार्क क्रमशः A–1 व A–2 अंकित कर थैलियों पर भी स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। तीसरी सीडी पर मार्क A–3 अंकित कर अनुसंधान अधिकारी के प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। समय 12:20 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री सुनील कुमार डेला को संदिग्ध आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी श्री सुनील कुमार डेला ने अपने पास से 500–500 रूपये के 02 नोट व 200–200 के 02 नोट कुल 1400/– रूपये निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय जयपुर को पेश किये। नोटों के नम्बरों का

विवरण फर्द में अंकित करवाकर उक्त नोटों के नम्बर मन उप अधीक्षक पुलिस एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। श्रीमति ममता महिला कानि. 251 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 1400 रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्रीमति ममता महिला कानि. 251 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। परिवादी श्री सुनील कुमार डेला की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री धर्मवीर सिंह से लिवायी गयी, परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी सुनील कुमार डेला की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्रीमति ममता महिला कानि. 251 से रखवाया गया। श्रीमति ममता महिला कानि. 251 से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था। उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके पश्चात उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल में श्रीमति ममता महिला कानि. 251 की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिनें हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री सुनील कुमार डेला एवं स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये सोडियम कार्बोनेट के घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सुनील कुमार डेला को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मो0 नं0 8386050807 पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का यथा–सम्भव प्रयास करें। तत्पश्चात श्रीमति ममता महिला कानि. 251 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी श्री सुनील कुमार डेला को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी श्री सुनील कुमार डेला को रिश्वती राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय का सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर सम्भलाया गया व मुनासिब हिदायत दी गयी तथा श्रीमति ममता महिला कानि. 251 को कार्यालय मे ही छोड़ा गया। समय 12:55 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील कुमार डेला के मोबाईल नम्बर 9928869185 से संदिग्ध आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना के मोबाईल नम्बर 9001199194 पर वार्ता करवाने पर एसओ से रिश्वत लेनदेन के लिए लंच बाद का समय निश्चित किया गया। समय 1:30 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को मुनासिब हिदायत कर श्री भंवर सिंह पुलिस निरीक्षक, अशोक कुमार कानि0 434, अशोक कुमार कानि0 99, स्वतंत्र गवाह श्री धर्मवीर सिंह के साथ परिवादी के वाहन से कार्यालय उत्तर पश्चिमी रेल्वे मण्डल जयपुर हसनपुरा पुलिया के पास के लिए रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्रीमति प्रीती चेची, पुलिस निरीक्षक, श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 55, श्री विरेन्द्र कुमार कानि0 66, कुमार सानु कानि0 एवं स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र भारद्वाज मय ट्रेप बॉक्स एवं कार्यालय का सरकारी लेपटॉप मय प्रिन्टर के जरिये प्राईवेट वाहन के परिवादी से उचित दूरी बनाते हुये परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुये तथा श्रीमति ममता महिला कानि0 को मुनासिब हिदायत कर कार्यालय मे ही छोड़ा गया। समय 2:00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री सुनील कुमार डेला, श्री भंवर सिंह पुलिस निरीक्षक, अशोक कुमार कानि0 434, अशोक कुमार कानि0 99, श्रीमति प्रीती चेची, पुलिस निरीक्षक, श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 55, श्री विरेन्द्र कुमार कानि0 66, कुमार सानु कानि0 एवं स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र भारद्वाज व श्री धर्मवीर सिंह के कार्यालय सहायक मण्डल इजीनियर (मुख्यालय), लोको

कॉलोनी जयपुर के बाहर पहुंचा तथा अपनी व हमराहियान की उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुये। समय 2:10 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील कुमार डेला को बाद मुनासिब हिदायत मय वॉयस रिकार्डर चालु करके संदिग्ध आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना के पास रिश्वत लेनदेन हेतु रवाना किया व रिश्वत लेनदेन के उपरान्त निर्धारित ईशारा करने की हिदायत की एवं हमराहियान गवाहान व जाप्ते को उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम किया। समय 2:27 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील कुमार डेला ने अपने मोबाईल नम्बर 9928869185 से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाइल नम्बर 8386050807 पर समय 2.27 पी.एम. पर कॉल कर रिश्वत लेन देन का नियत ईशारा किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के कार्यालय सहायक मण्डल इन्जिीनियर (मुख्यालय), लोको कॉलोनी, जयपुर में स्थित कार्यालय के हॉल मे बने कमरे के बाहर पहुंचे जहां पर जहां पर परिवादी श्री सुनील कुमार डेला कमरे के बाहर खडा मिला, जिससे डिजीटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रखा व परिवादी सुनील कुमार डेला के साथ कमरे मे प्रवेश किया तो सीट पर लाईनदार शर्ट पहने 57–58 साल का एक व्यक्ति बैठा मिला जिसकी टेबल पर जी0पी0 मीना, सी0ओ0एस0 की लकडी की नेम प्लेट रखी है की ओर ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यह गोपाल प्रसाद मीना है जिन्होने मेरी नमीत टूर एण्ड ट्रेवल्स की उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर मण्डल जयपुर मे श्री रजनीश त्रिपाठी, सिनियर सैक्शन इन्जिीनियर (वर्क) एस प्रथम, जयपुर के पास लगी बोलेरो कैम्पर के बिल पास करने की ऐवज मे 1400 रूपये की रिश्वती राशि मेरे से प्राप्त की है और इन्होने मुझे ईशारा करके दराज खोलकर रिश्वती राशि 1400 रूपये स्वंय की ऑफिस टेबल की दाहिनी उपर की दराज मे रखने को कहा, इनके बताने पर मैने रिश्वती राशि 1400 रूपये इनकी टेबल की उपर वाली दराज मे रखे है। इस पर कमरे मे सीट पर बैठे व्यक्ति के दांये व बांये हाथ को क्रमशः पोचों से हमरा जाप्ते मे से अशोक कुमार कानि0 99 व अशोक कुमार कानि0 434 से पकडवाया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व स्वतंत्र गवाह एवं एसीबी जाप्ता का परिचय देकर नाम पता पुछा तो अपना नाम श्री गोपाल प्रसाद मीना पुत्र श्री बोदनराम मीना, उम्र 59 साल, जाति मीना, निवासी ग्राम मलाना, तहसील राजगढ, पुलिस थाना टहला, जिला अलवर हाल बी–09, सीमेन्ट पाईप फैक्ट्री के पीछे पुराना रूपबास थाना अरावली विहार जिला अलवर हाल किरायेदार मकान नम्बर 99, शिवकॉलोनी, किसानमार्ग, टोंक फाटक पुलिस थाना बजाज नगर, जयपुर हाल मुख्य कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक मण्डल इजीनियर (मुख्यालय) लोको कॉलोनी जयपुर होना बताया। आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना से परिवादी श्री सुनील कुमार डेला से 1400 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे पूछा तो श्री गोपाल प्रसाद मीना ने बताया कि मैने सुनील कुमार डेला से कोई रिश्वती राशि की मांग नही की गई है एव ना ही मैने सुनील डेला से कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है। मैने ना ही किसी टाईपिस्ट के लिए कोई रिश्वती राशि मांगी है। इस पर उपस्थित परिवादी सुनील कुमार डेला ने आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना की बात खण्डन करते हुये कहा कि श्री गोपाल प्रसाद मीना ने मेरी नमीत टूर एण्ड ट्रेवल्स की उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर मण्डल जयपुर मे श्री रजनीश त्रिपाठी, सिनियर सैक्शन इन्जिीनियर (वर्क) एस प्रथम, जयपुर के पास लगी बोलेरो कैम्पर के बिल पास करने की ऐवज मे वर्तमान मे मेरी गाडी के माह फरवरी, मार्च, अप्रेल 2022 के पैण्डिंग बिल को पास करने के 500 रूपये और पूर्व मे पास किये बिल के लिए 500 रूपये और दोनो बिलों के लिए 200–200 रूपये टाईपिस्ट के लिए कुल 1400 रूपये की रिश्वती राशि की मांग मेरे से की थी और आज 1400 रूपये रिश्वत राशि गोपाल प्रसाद मीना ने मेरे से प्राप्त की है, इन्होने मुझे ईशारा करके अपनी ऑफिस की टेबल की दराज खोलकर रिश्वती राशि 1400 रूपये स्वंय की टेबल की दाहिनी उपर की दराज मे रखवाये है। इनके बताने पर मैने रिश्वती राशि 1400 रूपये इनकी टेबल की उपर वाली दराज मे रखे है। इस पर पुनः आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना से टाईपिस्ट के लिए भी रिश्वत राशि मांगने व प्राप्त करने के तथ्यों के संन्दर्भ मे टाईपिस्ट के बारे मे पुछा तो आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना ने पुनः कहा कि मैने सुनील कुमार डेला से कोई रिश्वत राशि न तो मैने स्वंय के लिए व ना ही किसी टाईपिस्ट के लिए मांगी। इसके उपरान्त परिवादी श्री सुनील कुमार डेला व उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी गोपाल प्रसाद मीना के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग

अपरिवर्तित होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क आर–1 व आर–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री सुनील कुमार डेला तथा आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग अपरिवर्तित हेाना बताया, उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री सुनील कुमार डेला तथा आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री धर्मवीर सिंह से आरोपी श्री गोपाल प्रसाद की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी गोपाल प्रसाद मीना की जेब मे काले रंग का पर्स जिसमे आरोपी की विभागीय आईडी व ड्राईविंग लाइसेन्स तथा 230 रूपये मिले। तत्पश्चात उपस्थित परिवादी ने बताया कि आरोपी गोपाल प्रसाद मीना की टेबल की उपर की दाहिनी दराज मे इन्होने मेरे से रिश्वती राशि 1400 रूपये रखवाई जिस पर गवाह श्री धर्मवीर सिंह से टेबल की उपरी दराज जो आधी खुली है को खुलवाई तो दराज मे कागज की फाईल के उपर 500 रूपये नोट के बण्डल की राशि रखी हुई है जिसे गवाह श्री धर्मवीर सिंह से जिस कागज की फाईल पर राशि रखी है उसे कागज की फाईल सहित निकलावकर टेबल पर रखा व इस पर पांच सौ रूपये के बण्डल की राशि को गवाह श्री धर्मवीर से उठवा कर गिनवाया तो दो नोट 500–500 रूपये व दो नोट 200–200 रूपये के कुल 1400 रूपये होना पाया गया। उक्त बरामद शुदा दो नोट 500–500 रूपये व दो नोट 200–200 रूपयो के कुल 1400 रूपये के नम्बर कार्यालय मे पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बरों का व फर्द मे अंकित नम्बरों से हुबहु मिलान होना बताया। बरामद शुदा नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर उक्त बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 02 नोट व 200–200 रूपयो के 02 नोट कुल 1400 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। बरामदशुदा रिश्वती राशि 1400 रूपये दराज के जिस कागज की फाईल पर रखी थी, उक्त पत्रावली के उपर के कागंज पर अंग्रेजी मे नोर्थन वेर्स्टन रेल्वे टेण्डर नम्बर ENGG-JP-2019-20-131 मैसर्स त्रिवेणी धाम टूर एण्ड ट्रेवल्स शाहपुरा जयपुर के टाटा सुमो को हायर करने व 31.03.2022 से एक्सटेन्सन का पत्र है जिसके निचे हाथ से अंग्रेजी मे नोटिंग है एवं सिनियर सैक्शन इजिनीयर (कार्य) दक्षिण–द्वितीय/जयपुर की मोहर अंकित है व उस पर हस्ताक्षर कर 26.04.2022 दिनांक अंकित है तथा सहायक मण्डल इजिनीयर मुख्यालय की सील लगी हुई है। उक्त पत्र के जिस हिस्से पर रिश्वती राशि 1400 रूपये रखी हुई थी को रूई के फोहे को गिला कर कागज का धोवन लिया जाकर साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में कागज के धोवन रूई के फोहे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गहरा गुलाबी हेाना बताया, उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री सुनील कुमार डेला तथा आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना के हस्ताक्षर करवाये गये व उक्त कागज की पत्रावली जिसमें कुल 04 पृष्ठ है को मार्क पी अंकित कर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त पत्रावली की सत्यप्रति कार्यालय के श्री रामकरण यादव, कार्यालय अधीक्षक को दी गई। जिस रूई के फोहे से कागज का धोवन लिया गया था, उस रूई के फोहे को सुखाकर प्लास्टिक की थैली मे रखा जाकर कपडे की थैली मे रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क–टी अंकित किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी गोपाल प्रसाद मीना के कमरे मे टेबल पर परिवादी श्री सुनील कुमार डेला की फर्म नमीत टुर एण्ड ट्रेवल्स के वाहन से संबंधित बिल, लॉग बुक, एमबी रखी है जिनका अवलोकन किया तो इनमे परिवादी श्री सुनील कुमार डेला की फर्म से

संबंधित गाडी के बिल व लॉग बुक के विवरण दर्ज है जिन्हे अवलोकन के पश्चात उक्त रिकार्ड की सत्यप्रतियां संबंधित विभागाध्यक्ष से पृथक से प्राप्त की गई। जिनमें परिवादी सुनील कुमार डेला की फर्म नमित ट्रेवल्स के वाहन बोलेरो केंपर के माह फरवरी, मार्च, अप्रेल के बिल को पास करने संबंधित तथ्य दर्ज हैं तथा बिल पर आरोपी व परिवादी के हस्ताक्षर है, जो आरोपी के पास परिवादी के पेंडिंग कार्य व इस संदर्भ में रिश्वत मांग व प्राप्ति के तथ्यों को इंगित करते हैं। परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई, जिसकी कार्यालय में पहुंचकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में धोवन की शीशियों, शील्डशुदा रूई का पैकेट, रिश्वती राशि आदि को सील मोहर करने में एसीबी जयपुर की पीतल की सील का प्रयोग किया गया। समय 5:00 पी.एम. पर आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक मण्डल इजीनियर (मुख्यालय) लोको कॉलोनी जयपुर द्वारा परिवादी श्री सुनील कुमार डेला की नमीत टूर एण्ड ट्रेवल्स की उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर मण्डल जयपुर मे श्री रजनीश त्रिपाठी, सिनियर सैक्शन इन्जीनियर (वर्क) एस प्रथम, जयपुर के पास लगी बोलेरो कैम्पर के बिल पास करने की ऐवज मे दिनांक 04.05.2022 को वर्तमान मे गाडी के माह फरवरी, मार्च, अप्रेल 2022 के पैण्डिंग बिल को पास करने के 500 रूपये और पूर्व मे पास किये बिल के लिए 500 रूपये और दोनो बिलों के लिए 200–200 रूपये टाईपिस्ट के लिए कुल 1400 रूपये की रिश्वती राशि की मांग की जाकर आज दिनांक 05.05.2022 को माँग के अनुसरण में 1400 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना के विरूद्व प्रथम दृष्टया अपराध अर्न्तगत धारा 7 पीसी एक्ट (संशोधन) 2018 प्रमाणित पाया जाने पर श्री गोपाल प्रसाद मीना को उपरोक्त जुर्म में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 5:20 पी.एम. पर आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना को जरिये नोटिस परिवादी श्री सुनील कुमार डेला एवं आरोपी गोपाल प्रसाद मीना के मध्य दिनांक 04.05.2022 को दर्ज सत्यापन वार्ता एवं 05.05.2022 को दर्ज रिश्वत लेनदेन की वार्ता के संन्दर्भ मे अपनी आवाज का नमूना दिये जाने बाबत सहमती चाही तो आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना ने लिखित मे अपनी आवाज का नमूना देने से इन्कार किया। समय 5:30 पी.एम. पर मंन उप अधीक्षक पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 6:00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता, गवाहान, परिवादी श्री सुनील कुमार डेला, मय गिरप्तारशुदा आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना व जप्तशुदा आर्टिकल्स, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप व प्रिंटर एवं रिकॉर्ड के जरिये प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना होकर समय 6:30 पी.एम. पर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया। समय 7:00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 05.05.2022 को रिश्वत लेन देन के दौरान परिवादी सुनील कुमार डेला व आरोपी गोपाल प्रसाद मीना के मध्य हुई वार्ता जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी के माध्यम से रिकॉर्ड की गई थी, जो मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित था को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से सुना गया, जिसमें परिवादी श्री सुनील कुमार डेला द्वारा अपनी व आरोपी गोपाल प्रसाद मीना की आवाज की पहचान करने के पश्चात फर्द ट्रासंक्रिप्ट रिश्वत लेन देन वार्ता पृथक से तैयार की गई तथा रिकॉर्डेड वार्ता की सीडी बनवाने हेतु कार्यालय से तीन सीडी मंगवायी जाकर सीडीयां खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप की सहायता से तीन सीडी तैयार की जाकर तीनों सीडीयों में वाईस क्लिप सुनिश्चित कर सीडियों पर क्रमशः मार्क B–1, B–2 व B–3 अंकित किया जाकर परिवादीगण एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर दो सीडी मार्क B–1 व B–2 को अलग–अलग सीडी कवर में रखकर अलग–अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर मार्क क्रमशः B–1 व B–2 अंकित कर थैलियों पर भी गवाहन एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। तीसरी सीडी पर मार्क B–3 अनुसंधान अधिकारी के प्रयोजनार्थ खुली रखी जाकर अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली की गयी। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही एवं साक्ष्यों से आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक मण्डल इजीनियर (मुख्यालय) लोको कॉलोनी जयपुर द्वारा परिवादी श्री सुनील कुमार डेला की नमीत टूर एण्ड ट्रेवल्स की उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर मण्डल जयपुर मे श्री रजनीश त्रिपाठी, सिनियर सैक्शन इन्जीनियर (वर्क) एस प्रथम, जयपुर के पास लगी बोलेरो कैम्पर के बिल पास करने की ऐवज मे दिनांक 04.05.2022 को वर्तमान मे गाडी के माह फरवरी, मार्च, अप्रेल 2022 के पैण्डिंग बिल को पास करने के 500 रूपये और पूर्व मे पास किये बिल के लिए 500 रूपये और दोनो बिलों के लिए 200–200 रूपये टाईपिस्ट के नाम से स्वयं के लिए कुल 1400 रूपये की रिश्वती राशि की मांग की जाकर आज दिनांक

05.05.2022 को माँग के अनुसरण में 1400 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर आरोपी श्री गोपाल प्रसाद मीना के विरूद्व प्रथम दृष्टया अपराध अर्न्तगत धारा 7 पीसी एक्ट (संशोधन) 2018 प्रमाणित पाया गया।

अतः श्री गोपाल प्रसाद मीना पुत्र श्री बोदनराम मीना, उम्र 59 साल, जाति मीना, निवासी ग्राम मलाना, तहसील राजगढ, पुलिस थाना टहला, जिला अलवर हाल बी–09, सीमेन्ट पाईप फैक्ट्री के पीछे पुराना रूपबास थाना अरावली विहार जिला अलवर हाल किरायेदार मकान नम्बर 99, शिवकॉलोनी, किसानमार्ग, टोंक फाटक पुलिस थाना बजाज नगर, जयपुर हाल मुख्य कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक मण्डल इजीनियर (मुख्यालय) लोको कॉलोनी जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधन) एक्ट 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(अभिषेक पारीक)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अभिषेक पारीक, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में श्री गोपाल प्रसाद मीना, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक मण्डल इंजीनियर (मुख्यालय) लोको कॉलोनी, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 167/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1488-92 दिनांक 6.5.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर(समन्वय), उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-द्वितीय जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।